संख्या- 72 /एक-10-2019-33(36)/2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बाराबंकी, सीतापुर, खीरी, गोण्डा, मुरादाबाद, बदायूँ, बरेली, पीलीभीत, मऊ, आजमगढ़, उन्नाव, बहराइच, फर्रूखाबाद, हरदोई, मेरठ, बलरामपुर, बिजनौर, बलिया, बस्ती एवं ललितपुर।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक: 06 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कृषि फसलों के सापेक्ष कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018 की बाढ़ से प्रदेश के 20 जनपद प्रभावित हुये थे तथा 20 जनपदों द्वारा कृषि फसलों को हुई क्षति का विवरण प्रेषित किया गया था। जिलाधिकारीगण द्वारा बाढ़ मेमोरेण्डम-2018 में कृषि फसलों की क्षति हेतु मांगी गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाढ़ से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने के लिये निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 1,18,20,00,721/-(रूपये एक अरब अठठारह करोड़ बीस लाख सात सौ इक्कीस मात्र)** सम्बन्धित जिलाधिकारीगण के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

Table-1

Agriculture Input Subsidy - for the Farmers having upto 2 hec. land

(Rs. In Thousands)

Sr. No.	Name of affected district	Total Demands of Districts	Amount Sanctioned by GoI against the demand (54.8%)	Proposed Amount to Sanction (100 % of Colum 4)
1	2	3	4	5
1	Barabanki	12404700	6797776	6797776
2	Sitapur	12352824	6769348	6769348
3	Khiri	64262340	35215762	35215762
4	Gonda	46254435	25347430	25347430
5	Mooradabad	85617728	46918515	46918515
6	Budaun	00	00	00
7	Bareilly	1458000	798984	798984
8	Pilibhit	2390274	1309870	1309870
9	Mau	4198500	2300778	2300778
10	Azamgarh	6554979	3592128	3592128

Scanned by CamScanner

11	Unnao	163772389	89747269	89747269
12	Bahraich	5143500	2818638	2818638
13	Farukhabad	20982100	11498191	11498191
14	Hardoi	89423445	49004048	49004048
15	Meerut	31684464	17363086	17363086
16	Balrampur	4050000	2219400	2219400
17	Bijnore	27677480	15167259	15167259
18	Ballia	3051000	1671948	1671948
19	Basti	9966420	5461598	5461598
20	Lalitpur	1069258513	585953665	585953665
Grand Total		**1660503091**	**909955694**	**909955694**

Table-2

Agriculture Input Subsidy - for the Farmers having more than 2 hec. land

(Rs. In Thousands)

Sr. No.	Name of affected district	Total Demand of Districts	Amount Sanctioned by GoI against the demand (42.3%)	Proposed Amount to Sanction (100 % of Colum 4)
1	2	3	4	5
1	Barabanki	8169966	3455896	3455896
2	Sitapur	2042347	863913	863913
3	Khiri	1656000	700488	700488
4	Gonda	4656600	1969742	1969742
5	Mooradabad	8368353	3539813	3539813
6	Budaun	221684	93772	93772
7	Bareilly	00	00	00
8	Pilibhit	1643224	695084	695084
9	Mau	1782000	753786	753786
10	Azamgarh	00	00	00
11	Unnao	20783477	8791411	8791411
12	Bahraich	00	00	00
13	Farukhabad	00	00	00
14	Hardoi	473890	200455	200455
15	Meerut	12321126	5211836	5211836
16	Balrampur	945000	399735	399735
17	Bijnore	2871185	1214511	1214511
18	Ballia	00	00	00
19	Basti	00	00	00
20	Lalitpur	577197600	244154585	244154585
Grand Total		**643132452**	**272045027**	**272045027**

Scanned by CamScanner

2- स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक **"2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-02-बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

5- जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जाय। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

6- जनपद की मांग के सापेक्ष स्.वीकृत धनराशि के अनुपात में ही प्रभावित समस्त कृषकों के मध्य धनराशि वितरित की जायेगी तथा भारत सरकार की गाईड लाईन दिनांक 08.04.2015 के अनुसार किसी भी कृषक को धनराशि रू0 1,000/- से कम वितरित नही की जायेगी।

7- राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 में निर्धारित मानक/दरों के अनुसार किया जायेगा।

8- राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

9- वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इसे पढ़कर सुनाया भी जाये।

10- निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अत: आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अत: आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

11- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।

12- लाभार्थियो का विवरण राहत की वेबसाइट पर प्रत्येक दशा में अपलोड किया जाय। लाभार्थियों के आधार तथा बैंक खातों का विवरण प्रदर्शित न किये जाने के सम्बन्ध में नियोजन विभाग के पत्र संख्या-09/7-277/ज0नि0प्र0/2016, दिनांक 18.04.2016 जो अन्य अधिकारियों के अलावा आपको भी सम्बोधित है, में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

Scanned by CamScanner

13- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/एक-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

14- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

15- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव ।

<u>संख्या- /एक-10-2019, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, स्वतंत्र प्रभार (श्री धर्म सिंह सैनी) आयुष, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, (श्री गिरीश चन्द्र यादव) नगर विकास तथा अभाव, सहायता एवं पुनर्वास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
10- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त।

Scanned by CamScanner